राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
Website www.uniraj.ac.in, Email.acad.2uor@gmail.com

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2026/5180 दिनांक : 02/10/2026

कार्यालय आदेश

दिनांक 07/08/2026 को आयोजित हुई निरीक्षण मण्डल की बैठक के निर्णय संख्या 04 के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित डिग्री महाविद्यालय जिनके सत्र 2026–27 के ऑनलाइन शुल्क के साथ सम्बद्धता अभिवृद्धि के आवेदन पत्र एवं राज्य सरकार के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये है तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के द्वारा नियमानुसार शैक्षणिक स्टाफ (प्राचार्य/व्याख्याता) के चयन करवाकर अनुमोदन हेतु पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई है, उन डिग्री महाविद्यालयों के सत्र 2026–27 हेतु सम्बद्धता अभिवृद्धि प्रदान किये जाने साथ ही जिन डिग्री महाविद्यालयों में उक्त तीनों शर्ते पूर्ण नहीं हैं, उनको इन शर्तो की पूर्ति के पश्चात ही सम्बद्धता अभिवृद्धि आदेश जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त डिग्री महाविद्यालयों से प्राप्त निवेदन एवं महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ (प्राचार्य/व्याख्याता) का विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति से साक्षात्कार के माध्यम से चयन करवाकर विश्वविद्यालय में अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने में समय लगने की स्थिति में उक्त शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए समस्त डिग्री महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि रू. 100/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टाफ पेपर नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि दिनांक 30/11/2026 तक महाविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ (प्राचार्य/व्याख्याता) का विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति से चयन करवाकर पत्रावली अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दी जावेगी। इस शर्त पर डिग्री महाविद्यालयों के सत्र 2026–27 के सम्बद्धता अभिवृद्धि आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः–शपथ पत्र का प्रारूप।

–sd–

अतिरिक्त कुलसचिव
राज. वि.वि. जयपुर
दिनांक : 02/10/2026

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2026/5181-5380
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. प्राचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त डिग्री महाविद्यालय।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलगुरू महोदय/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

2/10/2026

सहायक कुलसचिव, (शैक्षणिक–2)

(100/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ–पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... उम्र .....वर्ष, जाति .... निवासी ..... अध्यक्ष/सचिव .... सोसायटी ..... के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय ..... का हूँ तथा शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

1. यह कि उक्त समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय में कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 01/10/2026 की अनुपालना में दिनांक 30/11/2026 तक राजस्थान विश्वविद्यालय हेण्ड बुक–II वोल्यूम–I के स्टेट्यूट 26(5)(A)(B) के अनुसार गठित चयन समिति के अनुसार प्राचार्य एवं व्याख्याताओं का अनुमोदन करवा कर तथा यू.जी.सी. नियमानुसार वेतन एव अन्य भत्ते प्रदान करते हुये वेतन का भुगतान ऑनलाईन बैंक के माध्यम से किया जाना प्रारम्भ कर दिया जायेगा। यदि समिति द्वारा उपरोक्तानुसार नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2026–27 में अध्ययन कर रहें विद्यार्थियों का परीक्षा परीणाम रोकने, जुर्माना लगाने एवं नियमानुसार, जो भी कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा अमल में लायी जायेगी तो महाविद्यालय/समिति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

2. यह कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/व्याख्याता अन्य किसी संस्था में कार्यरत नहीं है, की जांच कर ली गई है तथा यदि कोई प्राचार्य/व्याख्याता अन्य किसी महाविद्यालय में कार्यरत पाया जाता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

3. यह कि महाविद्यालय के द्वारा स्वयं की वेबसाइट तैयार करवा ली गई है, जिस पर प्राचार्य एवं व्याख्याताओं से सम्बन्धित समस्त जानकारियां अपलोड कर दी गई हैं।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(मय मोहर)

सत्यापन

मैं ..... उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(मय मोहर)